



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन 1948 (श10)

(सं0 पटना 1295) पटना वृहस्पतिवार 22 अक्टूबर 2026

सं0 वि0(27) पे0को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-1084(पे0)—वि0,
वित्त विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर 2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-804(पे0)/वि0, दिनांक 12.08.2026 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2026 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग(बजट प्रभाग) के संकल्प- एफ संख्या-5(3)-बी(पी.डी.)/2023 दिनांक 05.10.2026 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान दिनांक 01.10.2026 से 31.12.2026 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

(3) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य सदृश निधि में अभिदाताओं के संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान दिनांक 01.10.2026 से 31.12.2026 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।

(4) पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन,
सचिव(सं०) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1295-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>